

पशु पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5
(SCSP तथा RKVY के अर्न्तगत 200-कुक्कुट स्कीम योजना बारे आवेदन प्रपत्र)

1. नाम-----पिता का नाम -----ग्राम-----
डाकधर-----तहसील-----जिला-----
2. जाति/वर्ग----- (सामान्य/अनुसूचित/अनुसूचित जन जाति)

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति-----पुत्र/पत्नी
श्री-----ग्राम-----डाकधर-----
-----की कुल आय(कृषि व अन्य साधनो से)-----रूपे
प्रति वर्ष है तथा प्रार्थी के पास कुक्कुट फार्म खोलने हेतु उचित मात्रा मे भूमि उपलब्ध है, जिसका
रक्बा-----है।

प्रधान ग्राम पंचायत

पटवारी

नायव तहसीलदार/तहसीलदार

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी के पास कुक्कुट पालन हेतु उचित आकार का कुक्कुट गृह उपलब्ध है व प्रार्थी को कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण/जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ने कुक्कुट पालन हेतु पहले कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

पशु चिकित्सा अधिकारी

कार्यालय उपयोग

श्री/श्रीमति-----पुत्र/पत्नीश्री-----
को कुक्कुट स्कीम के अर्न्तगत -----रूपे अनुदान के रूप में सहायता स्वीकृत की जाती है।

उप निदेशक (पशु स्वास्थ्य/प्रजनन),
जिला-----,हिमाचल प्रदेश।